झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

चयन की प्रक्रिया एवं शर्तें निम्नवत है :–

01– प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा एक नोडल को नामित करते हुए उनके पूर्ण विवरणी नाम, पदनाम, मोबाईल नं0 एवं ईमेल के साथ सूचना विधान सभा को दिनांक–08.10.2021 के अन्दर दी जाय।

02– प्रत्येक बिश्वविद्यालय से दो–दो छात्रों का मनोनयन राज्य स्तरीय स्पर्धा हेतु किया जाय, परंतु राँची विश्वविद्यालय, रांची/सिद्धु–कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका/विनोवा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग/नीलाम्बर–पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर/कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा/बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद द्वारा दो से ज्यादा छात्रों का मनोनयन इस प्रकार किया जाय, कि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक जिले का प्रतिनिधित्व संभव हो सके। संबंधित सूचनाएँ (यथा–छात्र का नाम, कॉलेज का नाम, संकाय, जन्मतिथि) दिनांक–21.10.2021 तक भेज दी जाय।

03– मनोनीत छात्रों द्वारा लिखित निम्नांकित विषयों में से किसी एक विषय पर न्यूनतम 500 शब्दों में तक अधिकतम 700 शब्दों का आलेख Email-Id.jvs.lrtc@gmail.com पर उनके मनोनयन के साथ निर्धारित तिथि तक भेजी जाय :–

(क)– जलवायु परिवर्तन के प्रभाव एवं निदान के उपाय

(ख)– राज्य की खनिज सम्पदा का उत्खनन एवं पर्यावरण संबंधी चुनौतियों

(ग)– 75 वर्षों के आईने में भारतीय लोकतंत्र

(घ)– झारखण्ड राज्य की वन सम्पदा एवं संरक्षण के उपाय

(ड.)–पर्यावरण संरक्षण की वर्तमान कानूनी व्यवस्था एवं इसका संवर्धन।

04– विश्वविद्यालयों द्वारा नामित छात्रों को वेबीनार के माध्यम से सभा सचिवालय के विशेषज्ञों द्वारा विधायी प्रक्रिया के संबंध में प्रशिक्षित किया जाएगा। इस वेबीनार में जुड़ने के लिए छात्र अपना ईमेल आई.डी./मोबाईल नं0 नोडल पदाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे।

कृ0पृ0उ0

(05)– विश्वविद्यालयों द्वारा नामित छात्र सभा सचिवालय द्वारा चयनित विशेषज्ञ पैनल के समक्ष उपर्युक्त विषय में से चयनित किसी एक विषय पर गूगल मीट के माध्यम से प्रस्तुति देंगे एवं विशेषज्ञ पैनल उनमें से 24 छात्रों का चयन कर उन्हें अंतिम चरण के लिए नामित करेगा।

(06)– अंतिम 24 छात्रों में से 13 पक्ष एवं 11 विपक्ष के लिए चैयनित किए जाएंगे। दूसरे चरण में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले छात्र को सदन नेता एवं दूसरे स्थान पर आने वाले छात्र को नेता, प्रतिपक्ष का दायित्व सौंपा जाएगा।

(07)– झारखण्ड छात्र संसद के आयोजन की प्रक्रिया ऑफ लाईन होगी एवं स्थल का निर्धारण झारखण्ड विधान सभा, रांची द्वारा किया जा सकेगा। झारखण्ड विधान सभा सभागार को प्राथमिकता दी जाएगी।

(08)– रांची में आयोजित किये जानेवाले झारखण्ड छात्र संसद के दौरान जिन छात्रों को आमंत्रित किया जायेगा, उनके आवासन, भोजन की व्यवस्था झारखण्ड विधान सभा द्वारा किया जाएगा। तथा प्रति छात्र 1000/– (एक हजार) रू0 सामेकित व्यय के रूप में कार्यक्रम के समापन के साथ ही तत्काल प्राप्त करा दिया जाएगा अन्य किसी प्रकार के भुगतान का दावा अनुमान्य नहीं होगा।

(09)– झारखण्ड छात्र संसद का कार्यक्रम द्विदिवसीय होगा। प्रथम दिन समस्त प्रक्रियाओं से अवगत कराया जायेगा और दूसरे दिन झारखण्ड छात्र संसद आयोजित की जायेगी।

(10)– झारखण्ड छात्र संसद में भाग लेनेवाले सभी 24 छात्र–छात्राओं को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह् प्रदान किया जायेगा।

(11)– विश्वविद्यालय द्वारा मनोनीत किये गये छात्रों के आलेख एवं वीडियों कॉंफ्रेसिंग के आधार पर शार्ट लिस्टिंग करने का सर्वाधिकार झारखण्ड विधान सभा के विशेषज्ञ समूह में निहित होगा।

(12)– झारखण्ड छात्र संसद हेतु **विशेषज्ञ** समूह में झारखण्ड विधान सभा के वरिष्ठ माननीय सदस्य, राष्ट्रीय/राज्यस्तर के संवैधानिक/संसदीय विषयों के विशेषज्ञ सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक/राज्य सरकार/झारखण्ड विधान सभा के वरिष्ठ पदाधिकारी होंगे।

(13)– झारखण्ड के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों का ही मनोनयन मान्य होगा।